

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,

जुन्नर प्रदेश राजराज

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद/2022/7197

तखानक दिनांक 21/08/2022

कार्यालय सूचना:-

अखिर भारतीय उपनीची शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फर्नेटी कान्तिरत वॉल इण्डिय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक सन 2022-23 हेतु टिप्योमा सलमि लकनीकी शिक्षण यलवागे को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, जुन्नर राजराज से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोज हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत यदि चाहिए अन्य गार्ड फा विस्तार कले हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गैर निरपेक्ष संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, जुन्नर राजराज द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतर्गत प्रवेश अगता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :- 4838-GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0एल0टी0आई0सी0आई0सी0आई0 द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश अगता
1	CIVI ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (MCDIRECTION)	60	60


सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0एल0टी0आई0सी0आई0सी0आई0 द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली 2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य सत्य पर निर्मित शासनद्वारा की अनुपालन करेगी तथा पूरक निर्माण समिति द्वारा निर्धारित पूरक तीन वर्षों हेतु 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 हेतु प्रवेश की क्षमता/संख्या को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विनियमवली-2016 के अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता पूरक पत्र करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विनियमवली-2016 के अनुसार निर्देशित एवं निर्देशक, प्राविधिक


GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC
 JAMUNIYA JALNPUR (U.P.)
 COLLEGE CODE- 4838

विद्यालयों, संस्कृत ज्योतिष परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा ज्ञान गौरव विधान, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक है।


- ✓ यदि संस्था का एम.बी.बी.टी.डी.पी.सी.आई.बी.डी. से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस कलेज में वास्तु व्यवस्थापन संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रायोगिक शिक्षा परिषद, संस्कृत ज्योतिष परीक्षा परिषद, प्रायोगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के दिशः यदि कोई बात उत्पन्न होगी तो संस्था को संस्था में भी, साधारणतः इस विषय पर उत्तर देने की जिम्मेदारी संस्था को होगी।
- ✓ संस्थाओं को संस्कृत ज्योतिष परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा प्रेषित एवं प्रदेश को आवंटित अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व एम.बी.बी.टी.डी.पी.सी.आई.बी.डी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उत्तम रूप में करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कार्यालय) के माध्यम से प्रदेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रदेश, अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उक्त निर्देश संस्कृत ज्योतिष प्रदेश क्षेत्र, समस्त-समस्त पर निर्दिष्ट नवीकरण व्यवस्था विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सफल-सफल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुख, उत्साह से युक्त अति-आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
- ✓ संस्था में शिक्षक-प्रशिक्षक हेतु उत्तमता पर्याप्त उत्तमता उत्तमता के साथ योग्य होने के साथ ही समस्त आवश्यकताओं का सुनिश्चित किया जाएगा।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपकरणों का उपयोग, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को सूचना अनिवार्य होती है कि संस्था उपरोक्त की प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की संयोजन साधन योग्य होने की कार्यवाही भी करेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षिक-व्यवस्थापन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामग्री, एम.बी.बी.टी.डी.पी.सी.आई.बी.डी. परिषद के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को उपरोक्त कार्य कर लेना होगा।
- ✓ संस्था को यदि का अनुपालन न किया जाने जाता है तो उपरोक्त किये जाने की निर्देश में निर्धारित अनुसंधान-कार्यवाही की जाएगी।


(एम.बी.बी.टी.डी.पी.सी.आई.बी.डी.)
सचिव

दिनांक: 03/08/2022

फ़ोन- प्रायोगिक शिक्षा संख्या 2022/7318-8455

प्रायोगिक शिक्षा
प्रधानाचार्य निदेशक, GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC


(एम.बी.बी.टी.डी.पी.सी.आई.बी.डी.)
सचिव


Principa
GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC
JAMUNIYA SAUNPUR (U.P.)
COLLEGE CODE-4858

राजिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश अखण्ड

संख्या - प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/2537

संलग्नक- दिनांक- 05/05/2021

कार्यालय ज्ञाप.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परगौली कलेक्ट्रेट ऑफ उमिया, नई दिल्ली द्वारा संकेत संख्या 2021-22 हेतु डिप्लोमा इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अखण्ड के सम्बद्धता समबद्धता नियंत्रण प्रदान किए जाने हेतु संकेत संख्या- 05/05/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कांच बुई बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता नियंत्रण प्रदान करने के लिए समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता समबद्धता नियंत्रण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति करने के अर्थ में अनुमोदन एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु सम्बद्धता नियंत्रण प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 4838-GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC, JAJUNIYA, JAUNPUR.

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	एन.आई.टी.सी. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCT ILLIN)	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.आई.टी.सी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन 1982, सेक्टर विनियमन 2018 तथा नव निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा पूर्णतः निर्धारित सीमाओं का पालन करेगी।
- ✓ संस्था को एन.आई.टी.सी. द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के पठ्यक्रमों (दो वर्षों के पठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु 22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कों के अतिरिक्त संयोजित करने हेतु संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था को एन.आई.टी.सी. द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता का पूर्णतः पालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुमोदन प्रदान करने पर संस्था द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अन्य शुल्कों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था को एन.आई.टी.सी. द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता का पूर्णतः पालन करना होगा।


 Director
 GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC
 JAJUNIYA, JAUNPUR (U.P.)
 COLLEGE CODE- 4838

- ✓ संघ उत्तर प्रदेश राज्य नगरीय को विधिविधानोपनिवेशीयसंघोपनिवेशीय एत निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संघ उत्तर प्रदेश मरीया परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा जारी किये गये विधान, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ विद्यार्थियों को फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं चार्ज करनी चाहिए। नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल होती है तो इस संघ में समस्त उच्चशिक्षित संस्था का होगा और प्राविधिक संघ से मिली गई कार्रवाई के लिए संस्था कार्य उल्लेखनी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघ उत्तर प्रदेश मरीया परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एत प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश संघ को कोई तरह तरह विचार नहीं दे तो अगर वह के संबंध में ग. स्वयंसेवक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकटी आदेश निर्देश विचार नहीं दे तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करवा होगा।
- ✓ विद्यार्थियों को फार्मसी पाठ्यक्रम, अधकृत करने वाली संस्थाओं को संघ उत्तर प्रदेश मरीया परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रयोग परीक्षा हेतु कारनिवेशीय प्रारंभ होने के लो संस्थाओं/संस्था से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यक्रम को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें ओथ को कारनिवेशीय के माध्यम से अपना सामान्य रूप में लीवे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हेतु निर्देश-विनियम आदेशों विधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ उत्तर को अपने कैम्पस पर सामान्य रूप में चले उत्तर की कोशिशें प्रविष्टि गति, उत्तर, उत्तर-संघ, उत्तर-संघ, पाठ संघ प्रारंभ पाठ संघ, उत्तर-संघ पुस्तक आदि का विचार उल्लेख कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण परिषद से उपलब्ध पाठ्यक्रम आदेशों के साथ ही लेने के संघ में समस्त उच्चशिक्षा पाठ्यक्रम सुनिश्चित करवा होगा।
- ✓ संस्था में स्थिति हो तो संस्था में प्रकृतित उच्चशिक्षा पाठ्यक्रम को चार्ज करने हेतु निर्देश संघों के द्वारा उपलब्ध करवाये गये विनियम, सुनिश्चित, उच्चशिक्षा आदि का यदि संस्था द्वारा किसी एक पाठ्यक्रम को संघ में लीवे किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी देनी है जो संस्था को प्रयोग मिली अन्य कार्य के लिए कर ली है तो उच्चशिक्षा संस्था की उच्चशिक्षा समस्त विधानों को उच्चशिक्षा की जायेगी।
- ✓ संस्था के कार्य निर्देशों के लिए संस्था में सुनिश्चित, प्रयोग, उच्चशिक्षा एवं उच्च-संघ का कार्य-संघ का कार्य-संघ को उच्चशिक्षा परिषद के माध्यम से उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संस्था को उच्चशिक्षा समस्त करनी चायेगी।
- ✓ संघ द्वारा चार्ज का अनुपालन न करने वाले उच्च शक्ति पर उल्लेख किये जाने का निर्देश में नियमनुसार अनुपालन कर कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अतिरिक्त

90910- प्राविधिक परिषद संघ उत्तर प्रदेश 2021/2020-2020


दिनांक: 08/03/2021

प्रतिपत्र

प्राचार्य/निदेशक, GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC, JAMUNYA, JAUNPUR.


 (सुनील कुमार सोनकर)

अतिरिक्त



Principal
GAJRAJ SINGH POLYTECHNIC
JAMUNYA, JAUNPUR (U.P.)
COLLEGE CODE - 4538

